PUNE RESEARCH TIMES ISSN 2456-0960
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY STUDIES VOL 5, ISSUE 1

चूनावी बॉन्ड योजना का आर्थिक अध्ययन

डॉ. आर. एच. नगरकर
सहयोगी प्राध्यापक
जी. एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकोनामिक्स, नागपूर
(महाराष्ट्र) भारत

प्रस्तावना :–

भारत को विश्व का बडा लोकतांत्रिक देश कहॉ जाता है। 70 वर्षो से अधिक अवधि से हमने लोकतंत्र का उपभोग किया है। भविष्य में लोकतांत्रिक रास्ते से ही देश आगे बढता रहेगा। लोकतंत्र का सबसे आवश्यक महापर्व होता है चुनाव। मतदाता चूनाव के माध्यम से अपने लिए सत्ता का चयन करता है। चूनाव है तो विभिन्न राजनैतिक दल होते है जो सत्ता प्राप्ती के लिए चूनाव में हिस्सा लेते है। उन सभी दलों का उद्देश्य मतदाता को लूभाना होता है। लूभाने का सिलसिला केवल चूनाव में नही होता अपतु पूरे पॉच वर्ष तक चलता रहता है। राजनैतिक दलों की प्रचार योजना एवं कार्यक्रम, सम्मेलन एवं सभाऍ, प्रचार सामग्री का प्रकाशन, नेताओं के देशव्यापी दौरो पर करोडो का खर्च होता है। इनक कार्यो के लिए तीन स्तर है – स्थानीय निकाय के चूनाव, राज्य सरकार के लिए चूनाव तथा केन्द्र सरकार के चूनाव इन सभी स्तरों पर प्रचार तंत्र समान ही रहता है, केवल उनका भूगोल ही बदलता रहता है। स्थानीय सत्ता से लेकर दिल्ली की कूर्सी तक पहूचने के लिए राजनैतिक दलों को बेहिसाब और विशाल व्यय कराना पडता है। इस सब खर्च की पूर्ती और प्राप्ती का सबसे बडा स्त्रोत होता है। चंदा राजनैतिक दलों को जनता से व्यापारी – व्यावसायिको से, बडी कंपनियो से दान के रुप में चंदा प्राप्त होता है। राजनैतिक दलों एवं संगठनो का सारा खर्च इसी चंदे की पूर्ति से चलता है। जिससे सबसे अधिक खर्च चूनावों पर किया जाता है। इसमें कालाधन अधिक उपयोग में होता है ।

2) चूनाव और खर्च : चूनाव में तीन क्षेत्रों से खर्च होता है। 1) राजनैतिक दलों द्वारा, 2) उम्मीदवारों द्वारा, 3) सरकार द्वारा चूनाव संपन्न कराने का प्रशासनिक खर्च।

प्रस्तुत अध्ययन में विगत लोकसभा चूनाव 2019 का दृष्टिगत रखकर विवरण किया गया है। इस प्रचार खर्च भी अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। छोटे राज्य के लिए प्रति उम्मीदवार 50 लाख रुपये तथा बडे राज्यों के लिये 70 लाख रुपये तक किये थे। यह खर्च नियम द्वारा है। नियम के बाहर ना घोषित खर्च की राशी बहूत अधिक होती है।

नियम के अनूसार निर्धारित राशी को नामांकन धरने के बाद चूनाव के दिन तक इस र्ख्च को विभाजित किया जाये तो करीब 3 लाख रुपये प्रतिदिन हर उमेदवार खर्च करता है। एन एन.जी.ओ. द्वारा लोकसभा 2019 में चूनावी खर्च का अनुमान इस प्रकार व्यक्त किया गया है। सात चरणों के इस चूनाव के पहले चरण में 50 हजार करोड रुपये, दुसरे चरण की 97 सीटों मे 80 हजार करोड रुपये, तिसरे चरण की 115 सीटों में 82 हजार करोड रुपये, पॉचवे, छटे व सातवे चरण की 209 सीटो में लगभग 2 लाख करोड रुपये होने का अनुमान है। इसमें घोषित–अघोषित तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है। इसमें कालाधन ही अधिक उपयोग में आता है। सरकार द्वारा चूनाव संपन्न कराने के लिए हुये प्रशासनिक खर्च का ब्योरा भी एन.जी.ओ. ने प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार इस लोकसभा चूनाव मं 10 से 12 हजार करोड का प्रशासनिक व्यय हूआ है।

चूनावी बॉंड योजना :–

बहूत पूर्व से ही राजनैतिक दलों का चंदा प्राप्त होता रहा है। यह कहॉं से प्राप्त हो रहा है तथा कैसे खर्च हरहा है। वह जानकारी बहूत अस्पष्ट और अविश्वसनीय लगती रही है। इसमें पारदर्शिता की कमी थी। अतः वर्तमान सरकार द्वारा चूनावों मे काले धन उपयोग पर नकेल कसने के लिए और चंदा प्राप्ती को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चूनावी बॉंड योजना की घोषणा वर्ष 2017 के बजट में की। चूनावी बॉंड को इलेक्टोरल बॉंड के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा के बाद चर्चाओं का दौर शुरु हो गया। प्रश्न ये था कि क्या वाकई में काला धन के उपयोग पर रोक लगाई जा सकती है। क्या कालेधन का इस्तेमाल बंद हो जायेगा ? क्या चंदा देने और लेने की प्रक्रिय पारदर्शी बन पायेगी ?

इन चर्चाओं के पहले की, पूर्व की स्थिति पर एक नजर डालना भी जरुरी है ।

1) चूनावी खर्च के लिए राजनैतिक दल हेतू प्राप्ती के स्त्रोत के रुप में चंदा ही महत्वपूर्ण था ।

2) प्रत्येक दल चंदा लेता था। नियम के अनुसार एक 20,000 रुपये तक का चंदा नगद में प्राप्त किया जा सकता है। जिसके लिए रसीद देने की भी कोई जरुरत नही है ।

3) 20,000 से अधिक का चंदा चेक के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है ।

पहले की उपरोक्त योजना अथवा प्रावधानों का राजनैतिक दल गैरफायदा उठाते थे। अधिकांश चंदा बिना रसीद के ही प्राप्त होता था। देने वाले व्यक्ति काला धन देते थे, लेनेवाले को इसकी रसीद देने की आवश्यकता नही थी। यह धन राजनैतिक दलों के माध्यम से भारत की राजनीति में कालाधन के आगमन का कारण बनता रहा ।

कालेधन को समाप्त करने के लिए राजनैतिक परिदृश्य से राजनैतिक चंदे की इस पध्दति को साप्त करना आवश्यक था। किसी भी दल को दिया जानेवाले चंदे का का पूर्ण ब्योरा निर्दिष्ट बॅक से लिया जाने की आवश्यकता जरुरी थी। अतः भारत सरकार ने राजनैतिक चंदा लेन–देन की एक नयी प्रणाली लागू करने की घोषणा की, जिसमें

सरकार के द्वार चूनावी बॉंड (electoral bond) जारी करने का प्रावधान है। 2 जनवरी 2018 को चूनावी बॉंड योजना अधिसूचित की गयी।

चूनावी बॉंड की प्रणाली :–

1) चूनावी बॉंड एक वचनपत्र अर्थात प्रॉमीसरी नोट है, जिसे चंदा देने वाला क्रेता के रुप में इसे खरीद सकता है। उसे बॅंक खाते से ही भूगतान करना होगा ।

2) ये स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया की इसके लिए चूनी हुयी शाखाओं से प्राप्त होगें ।

3) इनकी किंमत 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड रुपये के है ।

4) चूनावी बॉंड पर खरीदने वाले का कोई विवरण नही होने से क्रेता की पहचान नही होती ।

5) इसी तरह राजनैतिक दल का भी कोई विवरण नही होता अतः दल की पहचान भी नही हो सकती ।

6) प्रत्येक महीने के दस दिन बॉंड की बिक्रि होगी ।

7) बॉंड के निर्गमन होने के 15 दिनों के अंदर उसका उपयोग चंदा देने के लिए करना होगा ।

8) बॉंड पर कोई ब्याज नही मिलेगा ।

9) ये राजनैतिक दल के रजिस्टर्ड खाते में ही जमा होगें ।

10) दलो को इसकी प्राप्ती को वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाना होगा ।

11) ऐसे ही राजनैतिक दलों को बॉंड दिए जायेगें। जो चूनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो और उन्हे पिछले चूनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले हो ।

चूनावी बॉंड से लाभान्वित विभिन्न राजनीतिक दल और प्राप्त चंदा ।

वर्ष 18 – 19 में चूनावी बॉंड के जरीए विभिन्न राजनीतिक दलों चंदा प्राप्त हुआ है। चूनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स और आर.टी. आई मॉगी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित विवरण है। ये बॉंडस वर्ष 2018–2019 में बेचे गये है ।

चंदा लाभान्वित दलों का विवरण

अनु.क्रं.	राजनीतिक दल का नाम	चंदा राशी (करोड रु.)
1	भारतीय जनता पार्टी	1451 करोड

2	भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस	363 करोड
3	बिजू जनता दल	213 करोड
4	तेलंगाना राष्ट्र समिती	141 करोड
5	वाय. एस. आर. कॉग्रेस पार्टी	100 करोड
6	तृणमूल कॉग्रेस	97 करोड
7	अन्य	36 करोड
	कुल राशी	**2551** करोड

प्राप्त चंदा (प्रतिशत में) व राजनीतिक दल

अनु.क्रं.	राजनीतिक दल का नाम	राशी प्रतिशत में
1	भारतीय जनता पार्टी	56.9
2	भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस	15
3	बिजू जनता दल	8.4
4	तेलंगाना राष्ट्र समिती	5.5
5	वाय. एस. आर. कॉग्रेस पार्टी	3.9
6	तृणमूल कॉग्रेस	3.8
7	अन्य	1.4

स्त्रोत :– राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तथा आर. टी. आई. के लिए एस.बी.आय. द्वारा दी जानकारी ।

निरिक्षण :–

1) वर्ष 18–19 में चूनावी बॉड बेचकर राजनीतिक दलों ने चंदा 2551 रु. प्राप्त किये ।

2) सबसे अधिक 1451 रुपये अर्थात कूल चंदे के 56.9 टक्के भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किए ।

3) कॉग्रेस दूसरे क्रमांक पर 15 टक्के के साथ रही ।

4) बाकी राशी क्षेत्रिय दलों ने प्राप्त की है ।

5) अन्य दलों ने मिलकर 36 करोड रुपये प्राप्त किये ।

निष्कर्ष :–

चूनावी बॉंड चूनावी सुधार की और बढाया गया महत्वपूर्ण कदम है। पहले भी राजनीतिक दल चंदा प्राप्त करते है। बिना चंदा प्राप्ती के चूनावों में होने वाले विशाल व्यय नही हो सकते। किंतू पूरानी व्यवस्था में चंदे का किसी प्रकार का स्पष्ट हिसाब नही होता था, जिससे दलो का काला धन प्राप्त होता था। लेखा–जोखा स्पष्ट और विश्वसनीय नही होने से फंडींग में, लेन–देन में पारदर्शिता आ अभाव था। वर्तमान सरकार द्वारा फंडींग में काले धन पर रोक लगाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चूनावी बॉंड योजना आरंभ की है, जो सराहनीय है ।

वर्ष 2018–2019 में चूनावी बॉंड बेचकर दलो ने राशी प्राप्त की है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्राप्ती प्रतिशत सर्वाधिक है। उल्लेखनिय है, सत्ता पर विराजमान दल कों अधिक राशी प्राप्त हुयी है। जिन क्षेत्रिय दलों ने राशी प्राप्त की है वे सभी अपने अपने राज्यों में सत्ताधारी दल है, दाता सत्ताधारी दलो को चंदा देने में उत्सूक दिखायी दिये है। बॉंड खरीददार का ही पहचान गुप्त रखे जाने की व्यवस्था है। इससे कारपोरेट और राजनीतिक दलों के मध्य अपवित्र गठबंधन की संभावना बढेगी। इस योजना के उद्देश्यों की सफलता को जॉंचने के लिए आगामी कुछ वर्षो को देखना होगा। ये कारपोरेट किसी अन्य के नाम से बॉंड क्रय करके दलों को चंदा दे सकेंगें। इसके पश्चात सत्ताधारी दलां से अपने लाभ के काम करवा सकेंगे। अतः सरकार से यह अपेक्षा है कि फंडिंग को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए चंदा देने वालो के नाम घोषित करना चाहिए।

संदर्भ सूची :

1) https://adrindia.org

2) https://www.thehindu.com>news

3) https://www.business-standard.com